राजस्थान सरकार

सत्मेव जयते

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक .........57............/चित्तौड़गढ़/2008-2009

यह प्रमाणित किया जाता है कि जय श्री विश्वकर्मा प्रशिक्षण एवं बाल विकास समिति रावतभाटा तहसिल भैंसरोड़गढ़ जिला चितौडगढ

का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक चौदह (14) माह अगस्त (आठ) सन् दो हजार आठ (2008)

को चित्तौड़गढ़ में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
चित्तौड़गढ़

# राजस्थान सरकार

## कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

क्रमांक /एआरसीएस0/संस्था/ 2514 दिनांक 14.8.2008

श्रीमति सुशीला पत्नि श्री पुरूषोतमजी
श्री

× मंत्री/अध्यक्ष,

जय श्री विश्वकर्मा प्रशिक्षण एवं बाल विकास समिति,

रावतभाटा

**विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण के बारे में।**

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक /57/2008-2009 चित्तौड़ दिनांक 14.8.2008 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें। यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष निम्नांकित सूचनाएं भेजना जरूरी है।

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद् समिति या अन्य शाषी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशें की सूचना मय पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि में उस वर्ष जिसकी सूची है, के दौरान में हुयें समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हों।
3. संस्था के नियमों और विनियमों को एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो। इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो ऐसी परिवर्तित की गई प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने के तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को पहूंच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4(ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराधी सिद्ध होने पर ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जो 500/- रू. तक का हो सकता है। तथा जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध के पश्चात चूक जारी रहती है 50/- रू. तक का होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या 4(क) के अधीन भेजे गये विवरण पत्र में या नियमों और विनियमों का या उनमें दिये गये परिवर्तन की प्रतिलिपी में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्ट या लोप करता या करवाता है तो यह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दंड से दण्डनीय होगा जो 2000/- रू. तक हो सकता है।

नोट :- इस कार्यालय में भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं वर्ष अवश्य अंकित करें।

संलग्न मूल प्रमाण पत्र क्रमांक /57/2008-09/ 14.8.2008

रजिस्ट्रार संस्थाऐं